

दिनांक: 20-03-2017 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में रु0 25 लाख से अधिक लागत की सङ्क एवं अन्य निर्माण परियोजनाओं की प्रगति माह-फरवरी, 2017 के आधार पर आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त-

सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि वह सभी निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ विना किसी दवाव के निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

- 1— निविदा प्रक्रिया नियमानुसार होनी चाहिए। निविदा समिति का गठन नियमानुसार हो ठेकेदार एवं मजदूरों का पंजीकरण होना चाहिए तथा किसी ठेकेदार के भुगतान-में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए। सभी कार्यदायी संस्थाएं नियमानुसार श्रम विभाग द्वारा लगाये जा रहे सेस की धनराशि जनपद में जमा कराना ही सुनिश्चित करें। क्योंकि उक्त धनराशि को श्रमिकों के लिये राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में व्यय किया जाना है। कार्यों का अनुश्रवण गुणवत्ता पूर्ण ढंग से किया जाय। कार्य की गुणवत्ता की जाँच निर्धारित प्रयोगशाला में करायी जायेगी।
- 2— धनाभाव के कारण किसी परियोजना का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। धनराशि की मॉग के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अद्वैशासकीय पत्र प्रेषित करा दिया जाय। विधिक अड़चन एवं भूमि के अभाव में किसी परियोजना का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए।
- 4— प्रशासकीय विभाग धनराशि हस्तान्तरण में विलम्ब न करें। कोषागार में भुगतान 03 दिन में सुनिश्चित कराये जाय।

उपरोक्त सभी निर्देशों का अनुपालन किया जाना नितान्त आवश्यक है। साथ ही यह भी निर्देश देते हुये सचेत किया गया कि किसी भी बिन्दु पर मुझे भ्रमित या गुमराह करने की कोशिश न करें।

लोक निर्माण विभाग:-

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये गये कि जनपद की सभी सङ्क के गढ़दा मुक्त होना चाहिये तथा अपनी ३०३०आर०,५०५०आर० व ग्रामीण सङ्कों की सूची उपलब्ध कराये। साथ ही सी०सी०एल०,३०३०एल० की पासबुक में उपलब्ध धनराशि का विवरण भी उपलब्ध करायें। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को सङ्क निर्माण की समीक्षा अलग से बैठक में कराने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही—अधिकारी, लोक निर्माण विभाग)

उ०प्र०प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०—अलीगढ़ :-

परियोजना प्रबन्धक—य०पी०पी०सी०एल०अलीगढ़ बैठक में अनुपरिधित रहे। जिनका मार्च—2017 का वेतन रोकने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही—प्रबन्धक—य०पी०पी०सी०एल०—अलीगढ़)

सी०एण्ड डी०एस०अलीगढ़—

आई०एच०एस०डी०पी० निधौली कलौं, भूतेश्वर वस्ती एवं अवागढ में क्रमशः—60,96,96 आवास पूर्ण है। विद्युत संयोजन हेतु धनराशि जमा कर दी गयी है। परियोजना अधिकारी ढूड़ा को निर्देश दिया गया कि विद्युत संयोजन होने के बाद 03 योजनाओं का एक सप्ताह में हस्तान्तरण कराया जाय। परियोजना अधिकारी ढूड़ा को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत (ग्रामीण) एवं कार्यदायी संस्था से समन्वय रखापित कर मार्च, 2017 तक समस्त कार्य पूर्ण करायें। मॉडल स्कूल नगर बझेरा (अलीगंज), मुईददीनपुर (जैथरा) एवं गहराना (निधौली कलौं) का कार्य चल रहा है मॉडल स्कूल नगर बझेरा एवं मुईददीनपुर का कार्य 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण कर हस्तान्तरण करायें। मॉडल स्कूल गहराना का कार्य अप्रैल, 2017 तक पूर्ण कराकर हस्तान्तरण करायें। जनपद में चल रही समस्त योजनाओं में अवशेष कार्यों का विवरण 02 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—परियोजना प्रबन्धक—सी०एण्ड डी०एस०/ ढूड़ा /जिला विद्यालय निरीक्षक)

